रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 3/2020/511 प्रो०/51-2020-14(02)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 10 जून, 2019

विषयः राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 90 ए/नौ-बी/नाजिर/वाहन वी०आई०पी०/2020, दिनांक 06 फरवरी, 2020 तथा संख्याः 90 /नौ-बी/नाजिर/वाहन वी०आई०पी०/2020, दिनांक 27 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित पार्श्वकिंत देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू० 21,676=00 (रूपये इक्कीस हजार छः सौं छिहत्तर मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- मा० न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा, जज.
मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
दिनांक 24-10-2019,
वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०- 1384,
देयक संख्याः आगरा/0170,दिनांक 10-01-2020,
रू० 7,276=00

2- मा० न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा, जज.
मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
दिनांक 25-12-2019 से 28-12-2019,
वाहन संख्याः यू०पी०-85 ए०इ०- 8118,
देयक संख्याः 315,दिनांक 27-01-2020,
रू० 14,400=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 02 मूलदेयक।

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 3/2020/511 प्रो०/51-2020-14(02)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3- कोषाधिकारी, मथुरा।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहारी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
7- मथुरा टैक्सी यूनियन, भरतपुर गेट, मथुरा।
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।